राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.14(80)मूल्यांकन/परिपत्र/निजभूस/2013/2858-2965 दिनांक : 10/07/13

-: परिपत्र :-

एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में परियोजना कियान्वयन एजेन्सी द्वारा परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने के संदर्भ में विभागीय आदेश कमांक एफ.18(आई-41)निजभूस/आईडब्ल्यूएमपी/1675-2066 दिनांक 31.08.2010 के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये थे एवं उनके साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के प्रारूप भी संलग्न किये गये थे। इसी प्रकार विभागीय आदेश कमांक एफ.18 (आई-4)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2013/4209-4551 दिनांक 18.03.13 के माध्यम से उप समिति (जलग्रहण) के स्तर से प्रस्तुत किये जाने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश एवं प्रारूप प्रसारित किये गये थे।

कतिपय परियोजना प्रबन्धकों द्वारा निदेशालय के स्तर से बार-बार इस सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा जा रहा है कि जिन परियोजनाओं में स्वयंसेवी संस्थाएं परियोजना कियान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्य कर रही है, उनके स्तर से उपयोगिता प्रमाण पत्र किसके द्वारा प्रस्तुत किये जाने है।

इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि विभाग द्वारा पूर्व में प्रसारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही पूर्व निर्धारित प्रपत्रों में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जावें। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन परियोजनाओं में स्वयंसेवी संस्थाऐं परियोजना कियान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्यरत है, उन परियोजनाओं में पी.आई.ए. स्तर से उपयोगिता प्रमाण पत्रों पर उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे, जिसके द्वारा एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है। उप समिति (जलग्रहण) द्वारा प्रेषित किये जाने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र पर सम्बन्धित अध्यक्ष एवं सचिव, उप समिति (जलग्रहण) तथा किसी एक जलग्रहण विकास दल सदस्य के हस्ताक्षर किये जायेंगे तथा साथ ही इस उपयोगिता प्रमाण पत्र को मान्य करार तभी दिया जावेगा जब इस पर विभाग के जिले में पदस्थापित परियोजना प्रबन्धक के प्रतिहस्ताक्षर होंगे।

उक्त आदेश उन सभी स्वयंसेवी संस्थाओं, जो कि आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में परियोजना कियान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्य कर रही है, पर लागू होंगे।

(एम.एस.काला)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
एस.एल.एन.ए. एवं निदेशक

क्रमांक : एफ.14(80)मूल्यांकन/परिपत्र/निजभूस/2013/2858-65 दिनांक : 10/07/13

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए. एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर
3. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
4. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर (समस्त जिले)
5. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी/प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, जयपुर।
7. उपनिदेशक (समस्त), निदेशालय, जयपुर।
8. परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद (समस्त जिले)
9. सम्बन्धित स्वयंसेवी संस्था...।
10. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।

अतिरिक्त निदेशक (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)
जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर